

19-08-25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी या वादी संप  
उपस्थित नहीं। बार-बार अवाज लगाने पर भी  
उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का यह वादपत्र  
अयमचौखी- अयम हाजिरी में इसी स्तर पर  
खाजि किया जाता है। पत्रावली बाद तरीक  
तकमील होकर शामिल दफतर है।

निर्णय लिखा जाकर तुले न्यायालय  
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-चौहान)  
RAS